

28/5/24

पत्रावली वादों निरीक्षण पेश हुई प्रकरण के मूल
वाद सं. 23/2024 में वकील प्रतिवादी एवं
प्रस्तुत आदेश न नियम 11 के प्राथम पत्र को
स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया गया है।
प्रस्तुत प्राथम पत्र पर ह्यफ दे निरीक्षण की
आवश्यकता नहीं है। पत्रावली मूल वाद सं.
23/2024 के संलग्न रहे, फैसल कुमार खोटा
जेंवर दे काम हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसगर